

8.11
09/11/2020

MD 11/11/03-11-2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(गोपनी)

16/11/2020

2201

C.E.(P)

3/11
प्रमुख अभियन्ता
लोक नियोजन।

संख्या- 1994 /III(2)/20-32(एम.एल.ए.)/2017

1164) 550-II(P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत 05 ईट खण्डजा मार्ग निर्माण कार्य हेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकारी, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 2.805 मी० जिसकी लागत ₹84.05 लाख है, पर विभागीय टी०१००सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹84.05 लाख (₹ चौरासी लाख पाँच हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitale आधार पर अन्य एजेन्टी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समर्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समर्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

M

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22, लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्कक निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-513/XXVII(2)/2020 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवूदीय,
रमेश कुमार सुंधाशु
सचिव।

संख्या—(1)/III(2)/20-32(एम.एल.ए.)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून।
6. सम्बधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., लक्सर।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

१०८० ९५९ /२०मात्रा०८/२०

दि:- ०५-११-२०

एवं अपानुसार आपरेयक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

१. शोषु अभिनि, शोष नियुक्ति केसराजन,

२. आधी अभिनि लिए शु, शोषनियुक्ति, छात्र,

३. आधी अभिनि नियुक्ति, शोषनियुक्ति, लवसर,

४. आधी अभिनि आठ, दो सौ लाख रुपयों का नियुक्ति एवं नियमांचल


५. कपिअभिनि प्राठ/बजटको कार्यालय प्रशासन नियमांचल

शासनादेश संख्या:-1994/ 11(2)/ 20-32(एम०एल०ए०)/ 2017 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत लाख ₹ में	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि
	2	3	4	5
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-खानपुर के ग्राम तुगलकपुर में खालसा में मेन सड़क से दक्षिण दिशा को साठ० गुरुबक्स के खेतों की ओर ईंट खड़ण्जा निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.475	14.33	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-खानपुर के ग्राम अकोड़ा में मेन सड़क पर अशोक के खेत से अर्जुन सिंह की खेत के खेतों की ओर ईंट खड़ण्जा निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.730	22.03	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-खानपुर के ग्राम लालचन्दवाला में अशोक पुत्र जोत सिंह के खेत से गेन्दर की खेत की ओर ईंट खड़ण्जा निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.500	15.10	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-खानपुर के ग्राम माडाबोलीमें अंगूरी व भरत प्रधान के खेत से बाण गंगा की ओर ईंट खड़ण्जा निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.600	18.11	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-खानपुर के ग्राम भरवाला में सूरत सिंह के खेत से माठ० किशन लाल के खेत की ओर ईंट खड़ण्जा निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.500	14.18	0.10
	कुल योग :-	2.805	84.05	0.50

(रु० पचास हजार)


(रमा सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1994/III(2)/20-32(MLA)/2017
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20100220025
आवंटन पत्र दिनांक-29-OCT-2020

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02 से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1700000	50000	0	1750000
योग	1700000	50000	0	1750000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(इयाम सिंह)
संयुक्त सचिव
वासिक एव सतर्कता, पर्यटन
तथा लोक निर्माण विभाग
संस्थापन